जिला–पटना
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
उपस्थिति – श्री राजकुमार चौधरी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
बाढ़, 18 वीं मार्च 2026 ई0
सत्रवाद संख्या 165/2002

राम सागर सिंह (सूचक) ————————————————————————अभियोजन

बनाम्

1. रामचन्द्र सिंह पिता – स्व0 केदार सिंह उम्र लगभग 51 वर्ष

2. सुनील सिंह पिता – स्व0 केदार सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष

निवासी ग्राम– दक्षिणीचक, थाना – अथमलगोला, जिला– पटना————————अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा :– **147, 148, 341/149, 323/149, 324/149, 307/149** भा0द0वि0

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री राम रसीक प्रसाद

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक – मो0 सलीम

:::::::निर्णय:::::::

1. इस वाद में कुल 03 अभियुक्तगण का विचारण किया जा रहा था लेकिन अभियुक्त रामाधार सिंह के अनुपस्थिति के कारण दिनांक 15.12.2022 के आदेशानुसार अनुपस्थित अभियुक्त का वाद मूल वाद से पृथक किया गया।

उपरोक्त 02 अभियुक्तों 1. रामचन्द्र सिंह, 2. सुनील सिंह के विरूद्ध धारा **147, 148, 341/149, 323/149, 324/149, 307/149** भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप का सारांश सुनाया गया, जिसे वे सुनकर घटना से इंकार किये और विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक राम सागर सिंह हैं, जो अपना फर्दबयान दिनांक 27.07.1997 को समय करीब 06:30 बजे संध्या में सदर अस्पताल, बाढ़ में बाढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दर्ज करवाये है, जिसमें इनका कथन है कि दिनांक 27.07. 1997 दिन रविवार को समय करीब साढ़े तीन बजे दिन में दक्षिणीचक गांव स्थित अपने घर से करीब एक हजार गज पूरब अपने मकई के खेत में केरौनी कर रहे थे कि अचानक वहां पर 1. अशोक सिंह, 2. अनिल सिंह, 3. रामाधार सिंह, 4. सुनील सिंह, 5. रामचन्द्र सिंह, 6. फोलटन सिंह उर्फ जर्नादन सिंह अपने–अपने हाथ में लाठी लिये हुये इन्हें घेर लिया तथा फोलटन सिंह ने हुक्म दिया कि साले को जान से मार दो, इस पर अशोक सिंह अपने हाथ में लिये लाठी से वार किया, जिससे इनके बांये हाथ तथा गट्टा पर चोट लगी। फिर अनिल सिंह लाठी से इनके पैर पर चलाया,

जिससे ये गिर गये तथा बायां पैर के ढेहुना के नीचे चोट लगी। फिर रामाधार सिंह, सुनील सिंह, एवं रामचन्द्र सिंह तथा तथा फोलटन सिंह अपने–अपने हाथ में लिये लाठी से इनके उपर जान लेवा हमला किये और अंधाधुन लाठी चलाये, जिससे इनके ऑख एवं लिलाट पर जख्म हुआ। सुनील सिंह लाठी से इनके सीना पर प्रहार किया तथा रामचन्द्र सिंह दाहिने पॉव पर लाठी से प्रहार किया। जिससे सूचक को चोट लगी और जख्म हुआ। फोलटन सिंह अपने लाठी से सूचक को पलट दिया और कहा कि साला अभी बचा हुआ है और इनके पीठ पर लाठी से मारने लगा, इस पर सूचक चिल्लाना चाहा लेकिन वह बेहोश हो गया। इनके भाई राम पदार्थ सिंह घटना को देख कर चिल्लाते हुये दौड़कर आये तथा वहां पर प्रमोद सिंह, रामप्रवेश सिंह एवं अन्य लोग आये तो रामाधार सिंह अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर फायर किया, जो गोली किसी को नहीं लगी। इनके भाई एवं ग्रामीण लोग के जुटने के बाद मुदालय लोग पश्चिम की ओर भाग गये। सूचक को बाढ़ अस्पताल लाया गया, जहां पर इनका ईलाज चल रहा था। इनके साथ घटना होने से इनका दाहिना हाथ टूट गया तथा शरीर में कई जगह जख्म हुआ। इनके परिवार से अभियुक्तों के परिवार के बीच पहले से केस चला था, जिसमें अभियुक्तों को बाढ़ कोर्ट में सजा हुई थी और इसी दुश्मनी के चलते इनकी हत्या करना चाहते है। इनका दावा है कि उपरोक्त सभी मुदालय जान मारने के नियत से मजमा बनाकर इन्हें घेर कर लाठी से मारे तथा मरा हुआ समझ कर लोगों को आते देख, भाग गये।

3. सूचक के फर्दबयान के आधार पर बाढ़ थाना काण्ड संख्या– 284/1997, दिनांक 29.08.1997 को धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कुल 06 नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के बाद_अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र संख्या 66/1998 दिनांक 15.09.1998 अभियुक्त 1. अशोक सिंह, 2. अनिल सिंह, 3. रामाधार सिंह, 4. सुनिल सिंह, 5. रामचन्द्र सिंह एवं 6. फोलटन सिंह के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत घटना को सत्य पाकर अभियुक्तों को फिरार दिखाते हुये समर्पित किया गया तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ के द्वारा उपरोक्त धारा के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया। अभियुक्त रामाधार सिंह, रामचन्द्र सिंह, एवं सुनील सिंह उपस्थिति हुये तथा अन्य तीन फिरार अभियुक्त फोलटन सिंह, अनिल सिंह एवं अशोक सिंह के अनुपस्थिति के कारण पूरक वाद खोला गया।

4. कुल 03 अभियुक्तगण के वाद को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दौरा सुपुर्द कर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के यहां भेजा गया तथा श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के द्वारा इस वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 24.05.2008 को भेजा गया है, जिसका विचारण किया गया।

5. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 04 साक्षियों, जिसमें साक्षी संख्या– 01 पारस नाथ सिंह, साक्षी संख्या –02 रामप्रवेश सिंह, साक्षी संख्या– 03 विपिन कुमार सिंह, एवं साक्षी संख्या– 04 सुनील शर्मा उर्फ सुनील सिंह को प्रस्तुत किया गया है।

6. अभियुक्तगण का धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान लिया गया है, जिसमें वे घटना से इंकार किये और अपने को निर्दोष बतलाये तथा कहे कि ये निर्दोष हैं।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह के परे सिद्ध करने में सफल हुए हैं अथवा नहीं?

मंतव्य

8. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 04 साक्षियों में से साक्षी संख्या– 01 पारस नाथ सिंह, साक्षी संख्या –02 रामप्रवेश सिंह, साक्षी संख्या– 03 विपिन कुमार सिंह, एवं साक्षी संख्या– 04 सुनील शर्मा उर्फ सुनील सिंह का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी में साक्षी संख्या 01 पारस नाथ सिंह है, जो अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षी पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर साक्षी ने इंकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण को ग्रामीण होने के नाते पहचान किये है। इन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02 रामप्रवेश सिंह, साक्षी संख्या 03 विपिन कुमार सिंह एवं साक्षी संख्या 04 सुनील शर्मा एवं सुनील सिंह है, जो अपने–अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षी पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर साक्षी ने इंकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण को ग्रामीण होने के नाते पहचान किये है। साक्षी अपने ऑखों से कोई घटना नहीं देखे है। चौकीदार के द्वारा सूचना देने पर इन्होनें न्यायालय में गवाही दिया है।

12. इस तरह उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं पाता हूँ कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में साक्षी संख्या 01 पारस नाथ सिंह, साक्षी संख्या 02 राम प्रवेश सिंह, साक्षी संख्या 03 विपिन कुमार सिंह एवं साक्षी संख्या 04

सुनील शर्मा उर्फ सुनील सिंह है, सभी साक्षियों ने अपने–अपने बयान में घटना की जानकारी से इंकार किये है। अभियोजन कथन का समर्थन नहीं करने के कारण साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। न्यायालय द्वारा अन्य साक्षियों के विरूद्ध अधिपत्र निर्गत किया गया, जिसका तामीला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया है कि साक्षी राम पदार्थ सिंह, सूचक राम सागर सिंह की मृत्यु हो गयी है। इस वाद के चिकित्सा पदाधिकारी नगीना पासवान की मृत्यु हो चुकी है, जिसका तामीला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। अभियोजन ने जिन–जिन गवाहों को प्रस्तुत किया है, उन्होंने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने अपने वाद के समर्थन में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं करा पाये है और न ही किसी दस्तावेज को साबित कर सके है।

इस तरह उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया है उसे संदेह के परे साबित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ मिल गया है तथा वे निर्दोष साबित होते हैं।

<u>आदेश</u>

13. तदनुसार इस वाद के अभियुक्त 1. रामचन्द्र सिंह, 2. सुनील सिंह को धारा **147, 148, 341/149, 323/149, 324/149, 307/149** भा0द0वि0 के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त करता हूँ तथा उनके सभी जमानतदारों को बंधपत्र के समस्त दायित्वों से उन्मुक्त करता हूँ।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़

14. यह निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़